


XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - रिव्यू 11-5/आर/55/94

जिला - टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-9-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक निग0 16-पांच/87 में पारित आदेश दिनांक 21-7-94 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है ।</p> <p>2- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया ह । उनके तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :-</p> <ol style="list-style-type: none">1- नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी.2- अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती.3- कोई अन्य पर्याप्त कारण । <p>आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों ।</p>	



॥ श्री ॥

समस्त माननीय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश, ग्वालियर ।

CE 6040

की
दो

प्र०क्र०

148-44 रिव्यू ।

Roy/11.5/2/55/94

सं० क्र० 333/94

17.10.94

17.10.94

गया तनय भगू नाह निवासी कैलपुरा
तेहसील व जिला टीकमगढ़ म०प्र० मुक्त
द्वारा वागिस्तान:-

- (१) धनी राम }
(२) भगवानदास } पुत्राणा गया नाह
(३) रामसिंघक }

- (४) श्रीमती बिनिया वैवा गया नाह
(५) श्रीमती फूला पति चिरांजी नाह

- निवासी बहार तेहसील व लखगढ़ द्वारा
(६) श्रीमती संती पति फगदू नाह
निवासी धनरह तेहसील व जिला
टीकमगढ़ म०प्रदेश ।

- (७) श्रीमती रंभा पति लक्ष्मण नाह
निवासी अमापुर तेहसील व जिला
टीकमगढ़ म०प्र० ।

---वावेदक

13/10/94

17.10.94

Ex parte
31.7-95

मि० अ० ग०
श्री ०

शुभम
जानकी
लात्के पुत्र सिन्धु
मि० अ० ग० याग-कैलपुरा
तेहसील एवं जिला-
टीकमगढ़

महिला निभिया पत्नी अन्धुवा (तथाकथित
वैवा बुद्धा) निवासी कैलपुरा तेहसील व
जिला टीकमगढ़ म०प्र० । ---वावेदि

पुनर्वालीकन वावेदन अन्तर्गत धारा ५१ मू राजा पुः
संहिता म०प्र० १९६१ वावत आदेश दिनांक २१।७। प्रकरण
प्रकरण क्रमांक १६।पांचा०७ पारित द्वारा श्री
गुप्त सदस्य न्य.यालय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश

नकी स्व गाले द्वारा